



कार्यालय नगर निगम कोटा (राज0)

पता :- सी0ए0डी0 सर्किल, दशहरा ग्राउण्ड, कोटा

ई-मेल :- nnkota@gmail.com
revenuemck@gmail.com

क्रमांक:- ननिको/राजस्व/2019/2005-17

दिनांक:- 23-10-19

-: विज्ञप्ति सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कोटा सीमा क्षेत्र में संस्था/भूखण्ड/निजी भवनों (मकानों) की छत पर तथा निजी भूमि पर लगे यूनियोपल/होर्डिंग व रोड के दोनों ओर सरकारी भूमि पर लगे अवैध होर्डिंग्स को हटाए जाने हेतु बन्द लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती है। जो वर्ष 2019-20 व 2020-21 में दो वर्ष तक के लिए कार्यदेश की तिथी से दो वर्ष तक रहेगी। जिसमें विज्ञापन पट्ट का समस्त प्रकार के लोहे का मौका स्थल पर ही मौजूदा स्थिति में बेचान किया जावेगा। उक्त कार्य को स्वयं के संसाधनों एवं स्वयं के श्रमिकों से ही गिराना, फलैक्स उतारना, कटवाना, तुडवाना मौके पर से उठवाना, कांटा पची करवाना आदि भी शामिल होगा। जिसमें दुर्घटना एवं जनसुरक्षा व माल की जिम्मेदारी भी स्वयं संवेदक की होगी। इसके लिए निविदा द्विलिफाफा (दो) पद्धति के द्वारा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म आवेदन पत्र के साथ आयकर रिटर्न 2017-18 एवं 2018-19 का आयकर पेन कार्ड एवं आई0डी0 की छाया प्रति एवं राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित पता के साथ उपरोक्त ब्लॉकों के सामने अंकित निविदा प्रपत्र शुल्क एवं धरोहर राशि का डी0डी0 निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। निविदा प्रपत्र की प्रति, शर्तें एवं सूची नगर निगम की वेबसाइट www.kotamc.org.in एवं राजस्थान स्टेट पब्लिक पोर्टल RSPPP से डाउनलोड कर भरी हुई निविदाये जरिये रजिस्टर्ड डाक/कोरियर से दिनांक 31.10.2019 को सांय 03.00 बजे तक दशहरा मैदान स्थित राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा के ब्लॉक "सी" के द्वितीय तल के कमरा नं0 301 में पहुंच जानी चाहिये। समयावधि के बाद प्राप्त निविदाये मान्य नहीं होगी। नगर निगम कोटा द्वारा कोई निविदा विक्रय नहीं की जावेगी।

प्राप्त निविदाओं स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रशासन नगर निगम, कोटा में निहित होगा।

अन्य शर्तें एवं जानकारी राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा के द्वितीय तल के कमरा नं0 301 राजस्व अनुभाग से कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	नगर निगम द्वारा प्रस्तावित दर	निविदा शुल्क	धरोहर राशि	ऑफ लाईन निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि	डी.डी. एवं दस्तावेज जमा कराने की तिथि एवं समय	ऑफ लाईन निविदा खोलने का दि0 एवं समय
1	अवैध होर्डिंग्स छत पर काटने का कार्य	5/- प्रतिकिलो	1000/-	100000	24.10.2019 से 30.10.2019 तक	31.10.2019 सांय 03.00 बजे	01.11.2019 सांय 04.00 बजे
2	अवैध यूनियोपल/होर्डिंग्स भूमि पर काटने का कार्य	14/- प्रतिकिलो	1000/-	100000	24.10.2019 से 30.10.2019 तक	31.10.2019 सांय 03.00 बजे	01.11.2019 सांय 04.00 बजे

क्रमांक:- ननिको/राजस्व/2019/2005-17

प्रतिलिपि:-

1. महापौर महोदय, नगर निगम कोटा।
2. उपमहापौर महोदय, नगर निगम कोटा।
3. नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम कोटा।
4. अध्यक्ष, राजस्व कर वसूली कर समिति, नगर निगम कोटा।


Hording Theka Nivida 2019-20.1

राजस्व अधिकारी
नगर निगम कोटा

दिनांक:- 23-10-19

आयुक्त, नगर निगम कोटा।

6. मुख्य लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम कोटा।
7. राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक, नगर निगम कोटा।
8. पुस्तकालयाध्यक्ष को भेजकर लेख है कि इस निविदा को दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर समाचार की प्रतियां राजस्व अनुभाग में भेजें।
9. ओसवाल डाटा प्रोसेस नगर निगम कोटा को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को नगर निगम की वेब साइट पर डालने का श्रम करें।
10. स्मार्टराज प्रोजेक्ट नगर निगम कोटा को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को राजस्थान स्टेट पब्लिक पोर्टल RSPPP पर डालने का श्रम करें।
11. सम्बन्धित लिपिक श्री ललित सिंह, नगर निगम कोटा।
12. नोटिस बोर्ड।
13. गार्ड फाईल।


राजस्व अधिकारी
नगर निगम कोटा




—: अवैध होर्डिंग काटे जाने का ठेका शर्तें :-

1. नगर निगम कोटा द्वारा संवेदक को कभी-भी उक्त कार्य हेतु बुलाया जा सकेगा। जिसकी समय सीमा निगम द्वारा निर्धारित होगी।
2. यूनिपॉलों/होर्डिंगों के पाईप/पोल (समस्त प्रकार का लोहा) की दर प्रति किलों में निविदा प्रपत्र के अनुसार भरकर देनी होगी।
3. संवेदक को खाली वाहन का वजन निगम अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष कांटा पर्ची माल उठाने से पहले प्रस्तुत करनी होगी।
4. संवेदक द्वारा वाहन को भरने से पूर्व 1,00,000/- नकद/डी.डी./बैंकर्स चैक नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। जिसका समायोजन पूर्ण रूप से माल तुलाने के बाद किया जावेगा। अगर रू. 1,00,000/- जमा राशि के समतुल्य माल की तुलाई हो जाती है तथा शेष माल की तुलाई रह जाती है तो पुनः नकद/चैक रू. 1,00,000/- नगर निगम कोष में जमा कराना होगा।
5. माल की तुलाई राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक की निगरानी में होगी।
6. उच्चतम दर निविदा में प्राप्त होने के बाद संवेदक माल नहीं उठाता है तो धरोहर राशि जब्त करली जावेगी।
7. मांग पत्र जारी करने पर तीन दिवस में संवेदक द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
8. कोटा नगर निगम सीमा क्षेत्र में सरकारी भूमि/निजी भूमि तथा निजी भवनों की छतों पर लगे समस्त होर्डिंग्स को काटा जाना है।
9. निजी भूमि/भवन में प्रवेश निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा करवाया जाएगा।
10. होर्डिंग्स को काटकर छत से नीचे उतारने की जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी।
11. होर्डिंग्स/यूनिपोल काटने के समस्त उपकरण जैसे गैस कटर, मास्क, जेसीबी/क्रेन मजदूर व अन्य आवश्यक संसाधन सभी संवेदक द्वारा लाए जाएंगे।
12. होर्डिंग्स/यूनिपोल काटने के पश्चात स्वयं के वाहन में लोड करवाकर निगम द्वारा निर्धारित धर्म कांटे पर निगम द्वारा अधिकृत/नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की देखदेख में तुलवाया जाएगा।
13. कार्य के दौरान समस्त वाहनों का व्यय स्वयं संवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।
14. होर्डिंग्स /यूनिपोल पर लगी चद्दर/इन्गल/पत्ती गर्डर आदि की (छतों की दर 5/- प्रतिकिलो) एवं अन्य विज्ञापन बोर्ड व भूमि की दर 14/- प्रतिकिलो रहेगी जो निगम द्वारा तय होगी।।
15. कार्य के दौरान यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी।
16. GST व अन्य करों का भुगतान का दायित्व स्वयं संवेदक का होगा।
17. कार्य में कार्यरत श्रमिकों का संवेदक को बीमा कराना होगा। बीमा के प्रमाण/पॉलीसी की प्रति निगम में जमा करानी होगी।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र कोटा होगा।

होडिंग्स/यूनिपोल काटने का समय निगम प्रशासन द्वारा बताया जावेगा।

20. निविदा एवं निविदा के किसी भी भाग को निगम हित में बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार निगम के सक्षम अधिकारी को होगा।
21. होडिंग्स/यूनिपोल की दैनिक प्रगति रिपोर्ट अगले कार्य दिवस में राजस्व शाखा के कमरा नं. 307 में देनी होगी।
22. R.T.P.P. नियम 2013 लागू रहेंगे।
23. ठेका अनुबन्ध होने के उपरांत ही कार्यादेश जारी किया जावेगा।


राजस्व अधिकारी
नगर निगम कोटा
५

